प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2018 को मध्यान् 12.00 बजे विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति संलग्नः—

विशेष सचिव—सह—निदेशक द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नववर्ष 2018 की शुभकामना के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गयेः—

विशेष सचिव—सह—निदेशक द्वारा यह बताया गया कि पूर्व की बैठक में दिये गये दिशा—निदेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों से निदेशक महोदय को जानकारी प्राप्त हो रही है कि विभाग द्वारा दिये गये दिशा—निदेश को स्पष्ट तौर पर क्षेत्रीय वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को मुख्यतः समझने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण अनेकों समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। निदेशक महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि आने वाले दिनों में इस तरह की Confusion नहीं होनी चाहिए।

समीक्षोपरान्त यह भी निदेश दिया गया कि पिछले बैठक में भी चेतावनी दी गई थी, विभागीय मामलों को आम जनता/मिडिया या अन्य किसी स्त्रोत से गलत सूचना से अफवाहें न फैले। इस संबंध में सचेष्ट रहें। विभाग के वरीय पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर वास्तविक जानकारी हासिल करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में निदेशक द्वारा बताया गया कि BSMC के अधीनस्थ कर्मियों को जिला खनन् पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करना है एवं जिला खनन पदाधिकारी को अधीनस्थ जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में नियमानुसार कार्य करना है।

1 अवैध खनन् के विरूद्व समीक्षाः—

दिनांक **01.12.2017** से **31.12.2017** एवं **01.01.2018** से **05.01.2018** तक अवैध खनन्/परिवहन/भंडारण से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन/सूचना के आधार पर जिन—जिन जिलों का गिरफ्तारी शून्य है उन—उन जिलों को सख्त निदेश दिया गया कि अगले माह की विभागीय समीक्षात्क बैठक में कम—से—कम दस (10) गिरफ्तारी पूर्ण होना चाहिए।

विभिन्न जिलों यथाः— शेखपुरा के MDO/खान निरीक्षक, खगड़िया, सीतामढ़ी, अररिया एवं मोतिहारी, किशनगंज, समस्तीपुर, मधुबनी, कैमूर, गोपालगंज एवं अरवल जिलों का कार्य असंतोषजनक रहने के कारण उन जिलों के प्रभारी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया तथा तत्काल वेतन बंद का आदेश दिया गया।

समीक्षोपरान्त निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि सूदूर सीमावर्ती क्षेत्रों से ट्रक/ट्रैक्टर एवं हाईवा के माध्यम से लघु खनिजों का परिवहन किया जा रहा है जिस पर समुचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है एवं Border Area पर भी सख्त निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

2 ईंट भट्ठो का परिवहनः–

समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि 15.01.2018 से ईंट भट्ठों का परिवहन ई–चालान के माध्यम से किया जायेगा। जब्त ईंटों को दिनांक 15.01.2018 से Buffer Stock में जमा करने का निदेश दिया गया। तत्काल उन ट्रैक्टर/ट्रकों में GPS की आवश्यकता नहीं है जो ईंटों का परिचालन कर रहे हैं।

ईंट–संचालकों द्वारा समेकित स्वामिस्व का वगैर भुगतान किए कई वर्षों से ईंट–भट्ठा का संचालन किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई की जाए, साथ ही संचालित ईंट–भट्ठों/असंचालित ईंट भट्ठा की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करने का निदेश दिया गया।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1 बिहार राज्य खनिज निगम (BSMC) को लघु खनिजों को निश्चित मात्रा Buffer Stock के रूप में रखने हेतु 20 जिलों द्वारा भूमि का चयन किया जा चुका है, बाकि 16 जिलों के प्रभारी पदाधिकारी/डिपो प्रबंधक को सख्त निदेश दिया गया कि वे दो दिनों के अन्दर भूमि का चयन कर अद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करावें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

2 समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि जिन जिलों द्वारा 1/–(एक रूपया) प्रति वर्गफीट के हिसाब से भूमि का चयन किया गया है, उसे घटाकर 50/–पैसा प्रति वर्गफीट करना सुनिश्चित करें। 19 जिलों में 50 पैसा प्रति वर्गफीट के हिसाब से जमीन देने के लिए तैयार हो गया है। इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी संबंधित प्रभारी पदा0/डिपो प्रबंधक को चेतावनी दी गई है कि वे यथाशीघ्र 50/– पैसा प्रति वर्गफीट की दर से जमीन की खोज करें, अन्यथा आपकी मिलीभगत मानी जायेगी एवं इस आशय का पत्र संसूचित कर दिया जायेगा।

3 Buffer Stock में लघु खनिजों का नाप–तौल की सही पद्वति संबंधित डिपों प्रबंधक को दी गई है। डिपो प्रबंधक की जबावदेही बनती है कि वे पंजी में लघु खनिज लदे वाहनों का आगमन/प्रस्थान, तिथि एवं समय का सही ढंग से इन्ट्री करें, ताकि सही वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। प्रतिदिन इन्ट्री करने के बाद ही डिपों प्रबंधक अपने घर प्रस्थान करेंगे।

4 छापेमारी के दौरान पकड़े गए ट्रक/ट्रैक्टर में लदे बालू को जब्त कर Buffer Stock में Unloading करने का निदेश दिया गया। सर्वप्रथम First Phase में Buffer Stock पर 1–1 लाख CFT बालू का भंडारण नितान्त आवश्यक है।

5 बड़े–बड़े निर्माण कार्यों के लिए जिसमें बालू की उपलब्धता काफी बड़े पैमाने पर होती है। इस संबंध में कार्य विभागों के लिए PMU द्वारा एक System विकसित किया गया है इस संबंध में सभी संबंधित जिला

पदाधिकारी को भी पत्र संसूचित किया गया है एवं नोडल पदाधिकारी का भी गठन किया गया है।

6 प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जिलों में गठित टॉस्क फोर्स की बैठक में कार्य विभाग के इंजीनियर्स के साथ बैठक सुनिश्चित करें साथ–ही–साथ DEIAA एवं DEAC की भी बैठक संयुक्त रूप से कराई जाय। बैठक की कार्यवाही पर अगले दिन सदस्यों का हस्ताक्षर कर विभाग को भी भेजना सुनिश्चित करें।

7 जिलों में गठित Buffer Stock केन्द्रो पर सुरक्षा बलों को ठहरने के लिए तम्बू (Tent) की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

8 समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि बड़ी–बड़ी योजनाओं के लिए घाट पर 900/–रूपये प्रति 100 CFT एवं 5% BSMC कमीशन के साथ छोटी–छोटी योजनाओं के लिए 2400/– रूपये प्रति 100 CFT 5% BSMC कमीशन के साथ Buffer Stock से दिये गये दिशा–निदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करनी है।

9 PMU के कर्मियों को प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि System में GPS तथा गाड़ी का नम्बर दोनो इन्ट्री करना नितान्त आवश्यक है, ताकि सही दिशा–निदेश का अवलोकन हो सके।

10 जिन–जिन जिलों से बैंक गारंटी प्राप्त हो चुके हैं प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे संबंधित बैंक मैनेजर से सत्यापित करा लें ।

11 समीक्षा के क्रम में आई0टी0 प्रबंधक को निदेश दिया कि जिन जिलों में Bluetooth Printer/Computer/Printer इत्यादि की आवश्यकता हो तो उसकी सूची बनाकर श्री संतोष कुमार, आई0 टी0 प्रबंधक को लिखित रूप में देना सुनिश्चित करें।

12 सभी नियंत्री पदाधिकारी (DDO) को निदेश दिया गया कि जिन–जिन मदों में आवश्यकतानुसार राशि की आवश्यकता हो उसे विहित प्रपत्र में लिखित रूप में भेजें, ताकि राशि सरेण्डर न हो सके ।

अन्त में प्रधान सचिव द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पूरी पारदर्शिता, कर्मठता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

ह0/–
(के0के0पाठक)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक– प्र01(विविध) बैठक–15/17–285 /एम0, पटना, दिनांक – 15/1/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष सचिव–सह–निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना/विशेष सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना। विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक (मु0)/सहायक निदेशक (मु0)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक–सह–सक्षम पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/ सभी सहायक/ आई0टी0 प्रबंधक/श्री मृणाल किशोर, डाटा इंट्री ऑपरेटर/PMU को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्दत
12/1/18

15/1/18

(राजेश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी